राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– F21/RCH/JSY/2006/ 89 दिनांकः– 21.8.06

जननी सुरक्षा योजना राज्य में सितम्बर 2005 से प्रभावी हुई है । भारत सरकार द्वारा इसमें संशोधन किये गये है जो दिनांक 01.04.06 से प्रभावी माने जावेगें । यें संशोधन अति सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के अर्धशासकीय पत्र संख्या 14018/2/2005–NMBS/JSY दिनांक 11/07/2006 द्वारा किये गये है ।

शासन सचिव (प.क.) एवं मिशन निदेशक (रा.ग्रा.स्वा.मिशन) महोदया का संशोधित दिशानिर्देश पत्र संलग्न है ।

नोडल अधिकारी
जननी सुरक्षा योजना

क्रमांकः– F21/RCH/JSY/2006/ 89 दिनांकः– 21.8.06
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव – चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
2 निजी सचिव, शासन सचिव(प.क.) एवं मिशन निदेशक (एन.आर.एच.एम), जयपुर
3 प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक – मेडिकल कालेज एवं सम्बद्व चिकित्सालय को भेजकर अनुरोध है कि आपके अधीन जनाना/महिला चिकित्सालयों में इसकी प्रति भेजकर इसकी पालना सुनिश्चित करावें ।
4 निजी सहायक, निदेशक, – जन स्वास्थ्य/आर.सी.एच/एडस, मुख्यालय, जयपुर
5 अतिरिक्त निदेशक एन.आर.एच.एम/आर.एच/आर.सी.एच, मुख्यालय, जयपुर
6 अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित/अराजपत्रित) मुख्यालय, जयपुर
7 संयुक्त निदेशक (आर.सी.एच), मुख्यालय, जयपुर
8 संयुक्त निदेशक – जोन जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर
9 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले
10 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल – समस्त जिले
11 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सैटेलाईट अस्पताल, समस्त जिले
12 प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले
13 जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, समस्त जिले

नोडल अधिकारी
जननी सुरक्षा योजना

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, जयपुर

विषयः– **संस्थागत प्रसव हेतु जननी सुरक्षा योजना में हुए नवीनतम संशोधनों बाबत।**

I पूर्व में जननी सुरक्षा योजना के तहत केवल निम्न बी.पी.एल. एवं प्रमाणित गरीब महिलाओ को लाभ देय थे जिनकी–

- उंम्र 19 वर्ष या इससे अधिक हो।
- दो बच्चे हो अथवा तीसरा बच्चा होने पर महिला/उसका पति नसबन्दी करवा लेवे।

II भारत सरकार द्वारा कुछ समय पूर्व जननी सुरक्षा योजना में भुगतान एवं वर्ग संबधी संशोधन किये गये है जो कि दिनांक 01.04.2006 से प्रभावी मानें जाएगें ।

प्रमुख संशोधन

- सभी बी.पी.एल/ प्रमाणित गरीब एवं ए.पी.एल महिलाऐं जो अस्पतालों के जनरल वार्ड में प्रसव हेतु भर्ती है, इस योजना में नकद राशि का लाभ उठा सकेंगी। काटेज/क्यूबिकल कक्षों में भर्ती महिलाएं इस सुविधा का लाभ नही प्राप्त कर पाएंगी। उम्र व बच्चों की संख्या सम्बन्धी सभी अहर्ताएं हटा दी गई हैं।
- शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में घरेलु प्रसव का नगद लाभ (रू. 500/–) केवल बी. पी.एल/प्रमाणित गरीब महिलाओं को ही देय होगा , जिनके केवल दो ही बच्चें हों अथवा तीसरा बच्चा होने पर महिला/उसका पति नसबंदी करवा लेवे तो भी यह लाभ देय होगा । इसका प्रमाणिकरण प्रसाविका/प्रत्याशित (शहरी) कार्मिक द्वारा किया जावेगा।
- योजनान्तर्गत निजी अस्पताल/नर्सिंग होम में प्रसव का लाभ केवल बी.पी. एल/प्रमाणित गरीब महिलाएं ही ले सकेगी ।

III विस्तृत दिशा–निर्देश निम्न अनुसार है–

(अ) – **ग्रामीण क्षेत्र में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं हेतु**

बी.पी.एल वर्ग –

1 **संस्थागत** प्रसव करवाने पर गर्भवती माता को रु 700/– दिये जायेंगे । इस भुगतान को प्राप्त करने के लिए सरकारी संस्थान में महिला को किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र दिखानें की आवश्यकता

महिला को किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र दिखानें की आवश्यकता नही होगी । आशा सहयोगिनीं के लिए रु 600/– का प्रावधान किया गया है, जिसमें रेफरल परिवहन की व्यवस्था किया जाना निहित है। इस सुविधा का उपभोग करने के लिए लाभार्थी महिला कों उपरोक्त वर्णित प्रमाण पत्र दिखाना होगा । मान्यता प्राप्त पंजीकृत निजी चिकित्सालयों में भी प्रमाण पत्र दिखाना होगा । उम्र का प्रमाण आवश्यक नही होगा ।

<u>ए.पी.एल वर्ग</u> –

1 **संस्थागत प्रसव** – सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड मे ही भर्ती हुई गर्भवती माता को रु 700/– दिये जायेगे । रैफरल परिवहन राशि का कोई प्रावधान नही है ।

2 **घरेलु प्रसव** – गर्भवती माता को कोई भी लाभ देय नही होगा ।

(ब) – शहरी क्षेत्र में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं हेतु

1 **संस्थागत प्रसव** होने पर बी.पी.एल./प्रमाणित गरीब एवं ए.पी.एल. **वर्ग की गर्भवती माता को रु 600/– देय होंगे ।**

IV शहरों में किसी भी प्रकार की रैफरल परिवहन सुविधा देय नही होगी।

V सरकारी संस्थान से अभिप्राय –चिन्हित उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,सेटेलाईट अस्पताल, जिला अस्पताल,एवं अन्य सभी राजकीय अस्पताल और मेडिकल कालेज से सम्बद्ध सभी चिकित्सालय के सामान्य वार्ड से है।

शुभ्रा सिंह
शासन सचिव, (प.क)एवं
मिशन निदेशक, एन आर एच एम